



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 14 अगस्त, 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अगस्त, 2025 के लिये मतदान दिनांक 21.08.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र की 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 21.08.2025 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/2851

दिनांक: 18.08.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अगस्त, 2025 - सूखा दिवस के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 14 अगस्त, 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अगस्त, 2025 के लिये मतदान दिनांक 21.08.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र की 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 21.08.2025 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,



(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.7(2)(9) पंचा/रानिआ/2025/2534 दिनांक 31.07.2025 के संदर्भ में।
3. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, संबंधित।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.....
10. जिला आबकारी अधिकारी.....
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव